धारा 107 दं0प्र0सं0 — अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया

Online

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – झारखण्ड सरकार ।

वाद सं0 72/2023

बनाम

द्वितीय पक्ष – उज्जवल कुमार ..... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 22/2023 दिनांक 21/07/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष (1)** झारखण्ड सरकार की ओर से थाना प्रभारी पालकोट **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) उज्जल कुमार उम्र 37 वर्ष पिता उदय प्रसाद ग्राम गांधीनगर (2) विशाल केशरी उम्र 24 वर्ष पिता अशोक केशरी (3) राहुल केशरी उम्र 25 वर्ष पिता गोपाल केशरी (4) ऋषि गुप्ता उम 28 वर्ष पिता हरि गुप्ता (5) राजा साहु उम्र 26 वर्ष पिता भोला साहु (6) मो0 राजा खान उम्र 22 वर्ष पिता मो0 सैयद खान (7) संतोष केशरी उम्र 33 वर्ष पिता अरबिंद केशरी सभी ग्राम पालकोट थाना पालकोट जिला गुमला। द्वितीय पक्ष के द्वारा मोहरर्म पर्व 2023 में समाजिक सौहार्द विगाड़ने एवं विधि–व्यवस्था को चुनौती देने वाले कार्य कर सकते है। द्वितीय पक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित रहे:– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः द्वितीय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । 9/2/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.03 11:26:52 +05:30
Location: 192.168.1.3